



आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
07/07/2022	<p align="center"><b>प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची</b></p> <p align="center"><b>एस० ए० आर० रिजीजन 79/2017</b></p> <p align="center"><b>बिन्देश्वर सिंह बनाम् राज्य एवं राजू मुण्डा व सुरेश मुण्डा</b></p> <p>प्रश्नगत पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा एस० ए० आर० अपील क्रमांक-113-R15/2014-15 में पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। मूलतः विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा वाद संख्या-506/2012-13 में खाता नम्बर-28, प्लॉट-348 एवं 365, रकबा-3 कट्टा, ग्राम-मोराहाबादी को मुआवजा भुगतान के आधार पर विनियमित करने का आदेश पारित किया गया था।</p> <p>आवेदकों का दावा है कि प्रश्नगत भूमि वर्ष-1946 में उनके पूर्वजों द्वारा सादा बिक्री पत्र से क्रय की गयी थी, अतः उक्त भूमि पर उनका अवैध दखलकार के रूप में साबित होता है। प्रश्नगत भूमि पर उनका मकान निर्मित है, जिस कारण विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा उन्हें मुआवजा भुगतान के आधार पर विनियमन का आदेश पारित किया गया। उपायुक्त द्वारा स्वयं प्रेरणा से सुनवाई करते हुये उक्त आदेश को रद्द किया गया है, जो अनुचित है।</p> <p>प्रश्नगत वाद में पुनरीक्षण आवेदन दायर करने के पश्चात् से ही आवेदक न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहे हैं। किसी भी तिथि को आवेदक के तरफ से न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रखा गया। उनके द्वारा लगातार मौका देने के बाद भी ऐसे कोई साक्ष्य अथवा तथ्य उपलब्ध नहीं कराये गये तथा वे न्यायालय से अनुपस्थित रहे।</p> <p>निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा बिना किसी ठोस आधार के एवं साक्ष्यों का उचित अध्ययन एवं आंकलन किये बगैर प्रश्नगत भूमि पर वर्ष-1969 के पूर्व निर्माण होने का निष्कर्ष निकाला गया एवं उक्त निष्कर्ष के उपरान्त मुआवजा भुगतान के आधार पर भूमि को विनियमित कर दिया गया। यह सम्पूर्ण कार्रवाई आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को विनियमन करने हेतु मिलीभगत से की गयी कार्रवाई थी।</p>	

*YMS*

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	<p>उपायुक्त न्यायालय द्वारा प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण भी कराया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उक्त भूमि पर किये गये निर्माण निकट काल में ही किये गये थे। इस प्रकार निम्न न्यायालयों द्वारा मिली भगत से पारित आदेश को आदेश जो कास्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था, उपायुक्त न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। इस न्यायालय में आवेदकों का आचरण पूर्णत असहयोगात्मक रहा है तथा वे लगातार न्यायालय से अनुपस्थित हैं। स्पष्टतः वे मात्र इस विषय को न्यायिक प्रक्रिया में लम्बित रखना चाहते हैं, जिससे कि आदिवासी भूमि पर उनकी दखल कायम रहें। आवेदकों के पास ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे कि प्रश्नगत भूमि पर उनके द्वारा वैधानिक रूप से हस्तांतरित किये जाने एवं <b>Schedule Area Regulation-1969</b> के पूर्व उक्त भूमि पर समुचित निर्माण होने के संबंध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध हो। प्रश्नगत भूमि पर निर्माण निकट समय में ही किये गये हैं, जैसा कि अपीलीय न्यायालय के जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट हुआ। आवेदक विगत 05 वर्षों से न्यायालय से लगातार अनुपस्थित हैं। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है। अतः इसे खारिज किया जाता है। आवेदक उनके द्वारा भुगतान की गयी मुआवजे की राशि को वसूली हेतु स्वतंत्र है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">               प्रमण्डलीय आयुक्त         </p> <p style="text-align: center;">               प्रमण्डलीय आयुक्त         </p>	